अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिये किये गये प्रयास और उनकी शैक्षिक प्रगति
(EFFORTS FOR THE IMPROVEMENT/PROGRESS OF EDUCATION OF MARGINALIZED CHILDREN)

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और/अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की प्रतिबद्धता को धारा 15(4) में बताया गया कि धारा 45 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। धारा 46 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शैक्षिक हितों का विशेष प्रावधानों का ध्यान रखते हुए विशिष्ट उद्देश्यों को दर्शाती है। सामाजिक–आर्थिक असुविधा की क्षतिपूर्ति के अपने प्रयासों में भारतीय राज्य ने सक्षम बनाने वाले प्रावधानों की एक ऐसी शृंखला तैयार की है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनज़ाति के बालकों की विद्यालयी पहुँच और माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय स्तर पर इनके ठहराव को बढ़ावा देगी। राज्य और केन्द्र दोनों ही सरकारों ने विशेष शैक्षिक प्रावधानों को बनाने की जिम्मेदारी उठाई। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं का केन्द्र विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, विशेषतया दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में, किताबें और छात्रवृत्तियाँ देना रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद सक्षम बनाने वाले हस्तक्षेपों का व्यापक फैलाव हो गया। अस्सी के शुरूआती दशक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का शैक्षिक विकास खराब/धीमा/कम पाया गया, इस खोज के मद्देनजर 1986 की शिक्षा नीति ने उनकी शिक्षा के लिये ज्यादा सहयोग देने का सुझाव दिया।

विद्यालयी स्तर पर लागू केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में शामिल हैं—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता हेतु अनुदान देना; मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति जिसमें शामिल है, अस्वच्छ व्यवसायों जैसे कि चमड़ा बनाना, जानवरों की खाल छीलना और नाली, पाखाना सफाई करना इत्यादि को अपनाने वाली जातियों और परिवारों के बच्चों के लिये विशेष छात्रवृत्तियाँ और विद्यालय के उच्च एवं माध्यमिक स्तर के लड़के और लड़कियों के छात्रावास। रूढ़िवादी वातावरण के कारण अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा दर में कमी वाले जिलों के लिये केन्द्र सरकार ने विभिन्न उपायों वाली एक योजना की शुरूआत अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये की है।

राज्यों द्वारा क्रियान्वित विशेष योजनाओं में शामिल हैं—

(क) विद्यालयी शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिये मुफ्त किताबें एवं सामग्री;

(ख) आश्रम विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावासों के बच्चों को मुफ्त पौशाकें और कुछ राज्यों में सामान्य विद्यालय के बालकों के लिये भी;

(ग) सभी स्तरों पर मुफ्त शिक्षा;

(घ) मैट्रिक पूर्व वजीफा;

(च) पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में ठहरने की सुविधा और सामान्य छात्रावास; और

(छ) जनजातीय बालकों के लिये आश्रम (स्कूल), दूरदराज के इलाकों में सुविधाओं की मुश्किलों से पार पाने के इरादे से शुरू किये गये।

इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने कई तरह की योजनाएँ शुरू कर रखी हैं मसलन निजी स्कूल में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, मैरिट छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिये उपस्थिति छात्रवृत्ति, विशिष्ट स्कूल उपस्थिति इनाम, निदानात्मक कोचिंग और अध्ययन केन्द्र, अध्ययन के खर्चों की अदायगी, विद्यार्थी ऋण, व्यवसायों, कला कक्षाएँ, स्वयं रोजगार के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षकों के लिये आवास और इनाम कक्षाएँ, दोपहर का भोजन इत्यादि। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास और कल्याण कार्य समिति ने स्कूली शिक्षा के दौरान दोपहर के भोजन को अनिवार्य कर देने का सुझाव दिया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों का स्कूल में नामांकन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की 1986-87 की रिपोर्ट के अनुसार 80 के मध्य तक इन समुदायों में शैक्षिक प्रगति धीमी और असमान थी। यहाँ हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और स्कूल छोड़ने की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा (Education of Scheduled Castes)—अनुसूचित जाति में विद्यालयी शिक्षा की बढ़ती माँग, उपस्थिति दरों और नामांकन अनुपातों की महत्त्वपूर्ण बढ़ोत्तरी से प्रतिबिंबित होती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ताजा प्रतिवेदन (2005-06) के अनुसार 2003 में अनुसूचित जाति के तेईस मिलियन लड़के, लड़कियाँ कक्षा-1 से 5 तक में; आठ मिलियन कक्षा 6 से 8 तक के और चार मिलियन कक्षा 9 से 12 में नामांकित हुए। उच्च शिक्षा के स्तर पर यह नामांकन गिर कर एक मिलियन रह गया।

नामांकन अनुपात (मानक के अनुसार उम्र समूह की जनसंख्या का नामांकन प्रतिशत) वास्तविक शैक्षिक प्रगति का भरोसेमंद संकेत/चिन्ह नहीं है। बढ़ी उम्र के बच्चों का नामांकन वास्तविक संख्या से अधिक दर्शा कर नामांकन अनुपात को बढ़ा–चढ़ा कर पेश किया जाता है। परिशिष्ट तालिका 1 दर्शाती है कि सामान्य जनसंख्या का नामांकन अनुपात 2003 में क्रमशः प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर 98.20% और 62.40% था। तालिका 1 में अनुसूचित जाति के संगत आँकड़े दर्शाते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 88.30% और 71.86% है। अनुसूचित जाति के प्राथमिक स्तर के अनुपात का दायरा/श्रेणी में अधिकतम 137.31% मणिपुर और न्यूनतम 60.97% झारखण्ड में है। माध्यमिक स्तर पर कर्नाटक का 102.77% नामांकन अनुपात के साथ पहला स्थान है और बिहार 32.10% के साथ आखिरी स्थान पर है। बहुसंख्यक अनुसूचित जाति वाले बड़े राज्यों में से कुछ ऐसे राज्य है जो कि सामाजिक–आर्थिक विकास के संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड में अनुसूचित जाति का नामांकन न्यूनतम है।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की तुलना उनके नामांकन प्रतिशत के साथ करके तालिका 2 शैक्षिक विकास की बेहतर तस्वीर दिखती है। हम पाते हैं कि किसी भी

राज्य में ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति का नामांकन अनुपात, पूरी जनसंख्या में उनके प्रतिशत से कम हो। मिडिल स्तर पर बिहार, झारखण्ड और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जाति का नामांकन प्रतिशत उनके जनसंख्या में प्रतिशत से काफी कम है। माध्यमिक स्तर पर जिन 13 राज्यों में अनुसूचित जाति का नामांकन उनके जनसंख्या प्रतिशत से कम है, वे हैं—पंजाब, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, राजस्थान, कर्नाटक और केरल। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में विद्यालय के सभी स्तरों पर नामांकन प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत से ज्यादा है।

हालांकि 5-14 वर्ष के उम्र समूह के बच्चों की वर्तमान उपस्थिति के आँकड़े नामांकन की प्रभावी उपलब्धियों की कमी को दर्शाती है। अनुसूचित जाति के बालकों की विद्यालय में सम्पूर्ण भागीदारी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। नब्बे के अंत में हुए पिछले अध्ययनों में पाया कि 5-10 और 10-14 वर्ष उम्र समूहों में क्रमशः 20 और 29 प्रतिशत की अनुपस्थिति है। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार की नई योजनाओं और कार्यक्रमों का शैक्षिक रूप से अभी तक पिछड़े राज्यों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।

तालिका 3 वर्ष 2001 के लिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 5-14 वर्ष के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की उपस्थिति दर दर्शाती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पूरी ग्रामीण जनसंख्या की उपस्थिति दर 62 और शहरी जनसंख्या की 75 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की दरें 59.96 प्रतिशत और 70.68 प्रतिशत हैं। अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जाति के बच्चे 'अग्रिम' समझी जाने वाली जातियों के लड़के और लड़कियों से पिछड़े हुए हैं। हालांकि ग्रामीण गुजरात और महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के बच्चों की उपस्थिति दर सभी बच्चों के लगभग बराबर है। अनुसूचित जाति के बच्चों की उपस्थिति दर अधिकतम केरल (88.11%) और न्यूनतम बिहार (28.19%) है। लड़कों के लिये भी यह बिहार में न्यूनतम है—केवल 34.43 प्रतिशत मात्र 20% की उपस्थिति दर के साथ ग्रामीण बिहार में अनुसूचित जाति की लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब है। झारखण्ड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण अनुसूचित जाति की लड़कियों की भागीदारी दर कम है।

हिमाचल प्रदेश, केरल और असम के अलावा अधिकांश राज्यों की अनुसूचित जाति में जेंडर आधारित अन्तर का आकार काफी बड़ा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कुछ राज्यों, उदाहरण के लिये पंजाब में जहाँ पर अनुसूचित जाति की उपस्थिति दर राष्ट्रीय उपस्थिति दर से ऊँची है, अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति के बीच का अन्तर काफी बड़ा है।

तालिका 6 अनुसूचित जाति और बाकी सभी विद्यार्थियों की वर्ष 2003-04 के लिये विद्यालय छोड़ने (School dropout) की दर दर्शाती है कि गैर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की लड़कियों की दर (28.57 प्रतिशत) लड़कों की दर (33.74 प्रतिशत) से कम है। हालांकि 50 प्रतिशत से ज्यादा कक्षा 8 तक विद्यालय छोड़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के सापेक्ष आँकड़े क्रमशः 36.83 और 36.19 प्रतिशत है जो कि अपेक्षाकृत ऊँचे हैं। फिर भी कक्षा 1-8 के मध्य में ये आँकड़े लड़कियों के लिये 62.19 और लड़कों के लिये 57.33 प्रतिशत तक उछल जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर जिन 9 राज्यों में अनुसूचित जाति की स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। हालांकि इनमें से कुछ राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर,

मणिपुर, गुजरात, राजस्थान और सिक्किम में अनुसूचित जाति की लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में काफी कम है। यह सबसे ज्यादा (59%) मेघालय में है, उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश (56%) है तथा जम्मू और कश्मीर में सबसे कम है।

खराब उपस्थिति और विद्यालय छोड़ने की ऊँची दर का प्रभाव प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय समाप्ति दर में कमी के रूप में दिखाई देता है। हमारे पास विद्यालय समाप्ति (Completion) दर के वर्तमान आँकड़े तो नहीं हैं लेकिन 12-16 वर्ष के उम्र समूह के बालकों ने वर्ष 2000 के आँकड़ों के अनुसार आँकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चों की स्थिति गैर अनुसूचित जाति समूहों की तुलना में बेहद खराब है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 43 और 42 प्रतिशत बच्चों ने ही अपनी अवस्था के अनुसार सही समय पर विद्यालय समाप्त किया है। 'अन्य' जातियों के सापेक्ष आँकड़े 58 और 63 प्रतिशत के साथ काफी ऊँचे हैं। विद्यालय समाप्ति दरों में अंतर्राज्यीय अन्तर बेहद ऊँचे, व्यापक/महत्त्वपूर्ण हैं। केरल में अनुसूचित जाति के बालकों की प्राथमिक विद्यालय समाप्ति दर अपेक्षाकृत ज्यादा है (96% जबकि अन्य जातियों की 100%)। महाराष्ट्र 79.21% की दर के साथ केरल से पीछे है। तमिलनाडु में प्राथमिक विद्यालय पूरा करने वाले बच्चों का अनुपात 41.96 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्रमशः 35.15 और 30.52% के साथ काफी खराब है। पश्चिम बंगाल में 12 वर्ष के अनुसूचित जाति के बालकों की समाप्ति दर आश्चर्यजनक रूप से काफी कम केवल 19.28 प्रतिशत है। 16 साल के अनुसूचित जाति के बालकों की माध्यमिक विद्यालय समाप्ति दर के निचले स्तर पर बिहार और राजस्थान क्रमशः 21 और 31 प्रतिशत के साथ हैं जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल क्रमशः 74, 63, 89 एवं 90.8 प्रतिशत के साथ ऊँचे स्तर पर हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिये शिक्षा (Education for Scheduled Tribes)—भारत में वर्ष 2003-04 में अनुसूचित जनजाति के 12 मिलियन बालकों का प्राथमिक स्तर पर नामांकन हुआ, 3 मिलियन का माध्यमिक और 1.9 मिलियन का उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन हुआ। वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन अनुपात प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमशः 91.37 और 75.76 प्रतिशत था। प्राथमिक स्तर पर आनुपातिक शृंखला में जहाँ 140.94 प्रतिशत के साथ सिक्किम सर्वोच्च स्तर पर है और 64.67 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश निचली सीढ़ी पर है, वहीं माध्यमिक विद्यालय स्तर पर तमिलनाडु 117.98 प्रतिशत के साथ सर्वोपरि है, जम्मू और कश्मीर का 40.29 प्रतिशत न्यूनतम है। असम, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में नामांकन अनुपात 90 प्रतिशत से ज्यादा है। नागालैंड, मिजोरम में यह साधारण है। नागालैंड और पश्चिमी बंगाल में यह राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में दोनों स्तरों पर नागालैंड का नामांकन अनुपात न्यूनतम है।

तालिका 5 विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत की तुलना उनके नामांकन प्रतिशत के साथ करती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में सभी स्तरों पर नामांकन का प्रतिशत जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक है। मिडिल और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सोलह राज्यों में नामांकन प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत से कम है। उसमें अनुसूचित जनजाति की कम और ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। असम और त्रिपुरा में स्थिति साधारण तौर पर संतोषजनक है।

तालिका 3 दर्शाती है कि 5-14 वर्ष की उम्र समूह के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति के बालकों की विद्यालय उपस्थिति दर 53.09 प्रतिशत है, जो कि सामान्य जनसंख्या से 10 प्रतिशत कम है और अनुसूचित जाति के बालकों की दर से 6 प्रतिशत कम है। अनुसूचित जाति की तरह ही शहरी भारत में अनुसूचित जनजाति की उपस्थिति दर 70.89 प्रतिशत है, यह एक ऐसा आँकड़ा है जो अनुसूचित जाति के तो बराबर है किन्तु सामान्य दर से केवल 5 प्रतिशत कम है। ग्रामीण हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम में उपस्थित दर उच्चतम है। उड़ीसा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के राज्यों में जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या व्यापक है, लड़कों की ग्रामीण उपस्थिति दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों की सूची में यदि राजस्थान को भी जोड़ दिया जाये तो ऐसे राज्यों की सूची तैयार हो जायेगी जहाँ ग्रामीण लड़कियों की उपस्थिति दर बेहद कम है। शहरी क्षेत्रों में भी उपस्थिति दर के अच्छे और खराब होने के सम्बन्ध में इन राज्यों में यही क्रम ज्यादातर पाया जा रहा है, यानि कि यही राज्य अच्छे और बुरे की सूची में हैं। औसत से कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में जुड़ने वाला नया नाम गुजरात है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की उपस्थिति दर लड़कों से जिन तीन राज्यों में ज्यादा है, वे हैं सिक्किम, मेघालय और केरल। सम्पूर्ण भारत और अन्य राज्यों में लड़कों की उपस्थिति दर लड़कियों से बेहतर है, इसका न्यूनतम 2.07 प्रतिशत मिजोरम में है और अधिकतम 22.94 प्रतिशत राजस्थान में है। शहरी क्षेत्रों में समस्त अन्तर 4.43 प्रतिशत जो कि कम है, और अंतर्राज्यीय विविधताओं का प्रसार मिजोरम में 0.13 एवं राजस्थान में 10.62 है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की उपस्थिति में लिंग आधारित अन्तर सामान्य जनसंख्या में न्यूनतम है, जिसके बाद अनुसूचित जाति और उसके बाद अनुसूचित जनजाति का स्थान है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने की दर सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बच्चों से ज्यादा है। कक्षा एक में नामांकित होने वाले अनुसूचित जनजाति के बालकों में से अधिकांश विद्यालय प्रवेश के कुछ वर्षों के बाद ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति के बालकों के नामांकन में गम्भीर गिरावट कक्षा एक और दो के बीच होती है। 1988-89 में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कक्षा एक से आठ के बीच विद्यालय छोड़ने की आधिकारिक दर 78% जितनी ऊँची थी। कक्षा एक और पाँच के बीच अनुसूचित जनजाति के बालकों का लगभग 65 प्रतिशत विद्यालय छोड़ देता है। विद्यालय छोड़ने की दर सामान्य लड़कियों (68%) और विशेषतया अनुसूचित जनजाति की लड़कियों (82%) में बेहद ऊँची है।

वर्ष 2003-04 के लिये तालिका 6 में दिये गये आँकड़े स्थिति में केवल जरा–सा सुधार ही दर्शाते हैं। देश में समस्त रूप से अनुसूचित जनजाति के बालकों की विद्यालय छोड़ने की दर कक्षा एक से आठ के बीच 70.05 प्रतिशत और कक्षा एक से पाँच तक 48.93 प्रतिशत के साथ विशाल है। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर 48.67% लड़कों की दर 49.13% से कम है लेकिन कक्षा एक से आठ के बीच में 71.43% के साथ ऊँची है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति के प्राथमिक स्तर पर नामांकित बच्चों में से आधे से ज्यादा विद्यालय छोड़ देते हैं। इन सभी राज्यों सहित राजस्थान और तमिलनाडु में कक्षा एक से आठ के बीच में विद्यालय छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। शैक्षिक प्रगति के अधिकांश संकेतकों के आधार पर राज्यों में जमीन आसमान का अन्तर है।

शैक्षिक उपलब्धि के स्तर पर अंतर्जनजातीय विविधताएँ दिखाई देती हैं। मेघालय राज्य में, नागा जनजाति सबसे ज्यादा शिक्षित है। अरुणाचल प्रदेश में खामियार्ग और पंचम मोर्पा की साक्षरता में और

उड़ीसा में कुलिस 36.4 प्रतिशत और मंकरदियास 1.1 प्रतिशत की साक्षरता में विशाल अंतर है। जनजातीय समूहों के बीच में और उनके अन्दर शैक्षिक विविधताओं के विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है।

निरन्तर शैक्षणिक असमानता का संक्षिप्त विवरण और व्याख्या

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपरोक्त वर्णित शैक्षिक उपलब्धियों के आधुनिक स्तरों के संक्षिप्त सर्वेक्षणों से बहुत से बिन्दु उभरते हैं।

1. आँकड़े दर्शाते हैं कि विद्यालय जाने की उम्र के अनुसूचित जाति के बच्चों का एक महत्त्वपूर्ण समानुपात और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का इससे भी बड़ा समानुपात विद्यालय से बाहर ही रहता है। बढ़ते नामांकन का अर्थ प्रभावी अथवा समान सुलभता नहीं है।

2. सकारात्मक सोच और अधिक अनुमान की प्रकृति से किनारा करते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में ही नामांकन में अपेक्षित बढ़त शिक्षा के प्रति बढ़ती माँग और झुकाव को दर्शाती है।

3. प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों विद्यालय स्तर पर विद्यालय उपस्थिति, विद्यालय समाप्ति और विद्यालय छोड़ने के संदर्भ में स्थिति असंतोषजनक है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विद्यालय में बने रहने में सक्षम होना एक ऐसी समस्या है जो अग्रिम समझी जाने वाली जाति के बच्चों से कहीं ज्यादा तीव्रता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्रभावित करती है।

4. राज्यों के बीच में कम किये जाने के बावजूद भी शैक्षिक भागीदारी स्तरों पर असमानता बनी हुई है। राजनीतिक रूप से अनदेखी किये गये राज्य जैसे बिहार, में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भीषण शैक्षिक भुखमरी को झेलती हैं। शहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आगे बढ़ने और ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पिछड़ने के साथ शहरों तथा गाँवों में व्यापक विविधता है। एक ही राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन भी है—यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल गहन क्षेत्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों से निकाला जा रहा है। कुछ राज्यों में जेन्डर भेदभाव प्रशंसात्मक रूप से कम है, बाकियों में जहाँ लड़कियाँ आश्चर्यजनक रूप से लड़कों से पिछड़ रही हैं, ये भेदभाव बेहद गहरे हैं। तुलनात्मक रूप से उन्नत राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब में भी लड़कियों की कम शिक्षा की ओर इशारा करने वाले सभी गुणात्मक संकेतकों पर महत्त्वपूर्ण जेन्डर भेद पाये गये हैं।

5. हालांकि हमने योजनाबद्ध रूप से दोनों वर्गों की तुलना नहीं की है, किन्तु फिर भी दोनों वर्गों के अच्छे प्रतिनिधित्व वाले बड़े राज्यों में से अधिकांश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से पिछड़ती दिखाई देती है।